

निर्णय बड़जलास काना राम (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 05/2026 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

जीसीएमएस नं० 2026/42

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड .....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री लहरी सैनी (जाति माली) पता- ग्राम सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति गंगपुरसिटी जिला सोमाठ
2. श्री लहरी माली पुत्र बदरी पता- ग्राम सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति गंगपुरसिटी जिला सोमाठ

.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री लहरी सैनी (जाति माली) पता- ग्राम सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति गंगपुरसिटी की सम्पत्ति पट्टा सं. 02 बुक संख्या ए 23 बहक लहरी माली पुत्र बदरी नि० सलारपुर, ग्राम सलारपुर ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति गंगपुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रामजीलाल माली की कृषि भूमि, पश्चिम में आम रास्ता 20 फिट, उत्तर में खाली भूमि व दक्षिण में मिश्री देवी की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 84.44 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 8,51,400/- (आठ लाख इक्यावन हजार चार सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.06.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 24.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 12.06.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के साथ ही दिनांक 24.06.2025 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा सं. 02 बुक संख्या ए 23 बहक लहरी माली पुत्र बदरी नि० सलारपुर, ग्राम सलारपुर ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति गंगपुरसिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रामजीलाल माली की कृषि भूमि, पश्चिम में आम रास्ता 20 फिट, उत्तर में खाली भूमि व दक्षिण में मिश्री देवी की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 84.44 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक/अप्रार्थी को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 13.5.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)  
जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर